आवश्यक/समयबद्ध

संख्या: 02 /2020/486/12-2-2020-60(82)/2018

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2020

विषय: प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के समस्त लाभार्थियों को किसान कार्ड से आच्छादित करने हेतु विशेष अभियान चलाए जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (क्रेडिट डिवीजन) ने अपने पत्र संख्या: 1-20/2018-क्रेडिट-1 (पार्ट) दिनांक 6 फरवरी, 2020 के माध्यम से पी0एम0 किसान योजना के समस्त लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 08 फरवरी, 2020 से दिनांक 22 फरवरी, 2020 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उल्लेखनीय है कि भारतीय बैंक संघ के द्वारा देश के सभी बैंकों को गाइड लाइंस जारी की गयी है जिसमें रूपये 3.00 लाख की सीमा तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रोसेसिंग, डाक्यूमेंट, लेजर फोलियो के निरीक्षण शुल्क आदि को माफ करते हुए बैंकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह कृषकों से पूर्ण रूप से भरे फार्मो की प्राप्ति के 14 दिवस के अन्दर किसानों को क्रिसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्त सेवा विभाग ने अपने पत्र दिनांक 04 फरवरी, 2019 द्वारा सभी बैंकों को यह निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा फार्म के जमा करने के दो सप्ताह के अन्दर कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाय। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या: 1829/12-2-2019-60(82)/2018 दिनांक 01 जुलाई, 2019 द्वारा भी वंचित कृषकों को समय से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3. भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार 238.22 लाख कृषक जोत हैं जिसमें से दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक मात्र 111.13 लाख कृषकों को ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी है। कृषकों की संख्या जोतों की संख्या से कहीं अधिक है अत: अभी 150.00 लाख से अधिक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराया जाना शेष है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उल्लेखनीय है कि पी0एम0 किसान योजनान्तर्गत दिनांक 8 फरवरी, 2020 तक 202.33 लाख लाभार्थियों का चयन करते हुए 187.35 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। अत: दिनांक 10 फरवरी, 2020 से 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर पी0एम0 किसान योजना के अधिक से अधिक लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं:-

(क) पी0एम0-किसान योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थी कृषक अपने बैंक शाखा से, जहॉ से उन्हे योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, वे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त करेंगे। ऐसे लाभार्थी कृषक, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड पहले से उपलब्ध है, उन्हे भी आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार ऋण सीमा में बृद्धि की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(ख) ऐसे लाभार्थी कृषक, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और वह निष्क्रिय हो गए हैं, वे अपने किसान क्रेडिटकार्ड को नियमानुसार सक्रिय कराते हुए नयी ऋण सीमा का निर्धारण करा सकते हैं।

(ग) ऐसे लाभार्थी कृषक, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, वे अपनी खतौनी एवं बोई जाने वाली फसलों के साथ नये किसान क्रेडिट निर्गत करने हेतु बैंक से अनुरोध कर सकेंगे। शाखा प्रबंधक पी0एम0-किसान योजना के लाभार्थी कृषकों के लिए निर्धारित एक पृष्ठ के प्रोफार्मा पर सूचना भराकर कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। यह प्रोफार्मा मात्र पी0एम0-किसान योजना के लाभार्थी के लिए ही उपयोग में लाया जा सकेगा।

(घ) ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड धारक लाभर्थी कृषक, जो कृषि के अतिरिक्त पशुपालन अथवा मत्स्य पालन अथवा दोनों प्रकार के भी कार्य करते हैं, उनके किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा नियमानुसार बढायी जा सकेगी।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभियान को सफल बनाये जाने हेतु जनपद स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्यित की जाय:-

(1) जनपद के उप कृषि निदेशक के लॉग-इन पर पी0एम0-किसान योजनान्तर्गत सफल कृषकों की उपलब्ध सूची से उप कृषि निदेशक, पी0एम0-किसान योजना के लाभार्थी कृषकों की सूची से कृषकों का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का पता, खाता संख्या, IFSC, बैंक का नाम, शाखा का नाम व मोबाइल नम्बर संबंधी सूचनायें एक्सल सीट पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त जनपद के अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक को उपलब्ध करायेंगे। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक द्वारा बैंकवार सूची तैयार कर जनपद के सभी संबंधित बैंकों को सूची उपलब्ध करायी जायगी। सभी बैंकों के जनपदीय प्रमुख अपने-अपने बैंकों की शाखावार सूची तैयार कर संबंधित शाखा प्रबंधकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) शाखा प्रबंधक द्वारा पी0एम0 किसान योजनान्तर्गत प्राप्त लाभार्थियों की सूची से किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी किसान का मिलान सूची से किया जायेगा तथा उन कृषकों की सूची तैयार की जायेगी, जिन्हे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। यह सूची पी0एम0-किसान के अवशेष लाभार्थी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उपयोग में लायी जायेगी।

(3) पी0एम0-किसान योजना के अवशेष लाभार्थी किसानों द्वारा निर्धारित एक पृष्ठ के प्रोफार्मा पर संबंधित सूचना जैसे भू-अभिलेख, फसल विवरण एवं एक घोषणा जिसमें ''कृषक द्वारा किसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य बैंक/शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त नहीं की गयी है", अंकित करना होगा। यह प्रोफार्मा मात्र पी0एम0-किसान के लाभार्थी कृषकों के लिए होगा और प्रत्येक अनुसूचित बैंक की वेबसाइट एवं पी0एम0-किसान पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

(4) जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 10 एवं 11 फरवरी, 2020 को जिला स्तरीय बैंक समिति (डी0एल0बी0सी0) की बैठक करते हुए अभियान की पूर्ति के सम्बन्ध में कैम्प लगाने आदि संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए जायेंगे तथा अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक के साथ योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेस-कांफ्रेंस की जायेगी जिसमें योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं पर लगाये जाने वाले कैम्पों की तिथियों की जानकारी भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) जनपद के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा पी0एम0-किसान योजना के लाभार्थी कृषकों की बैठक कर उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड के सम्बन्ध में चलाये जा रहे विशेष अभियान की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी और किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता इस अभियान की पूर्ति हेतु ली जायेगी।

(6) पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल एवं कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक, ग्रुप-सी आदि के कर्मचारी बैंक शाखाओं से प्राप्त कृषकों की सूची के अनुसार संबंधित कृषकों को योजना के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

(7) लेखपाल द्वारा कृषकों को भू-लेख संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे शाखा प्रबंधकों को ऋण सीमा निर्धारित करने एवं किसान क्रडिट कार्ड निर्गत करने में सुविधा होगी।

(8) जिलाधिकारी द्वारा अभियान अवधि में नियमित रूप से साप्ताहिक अथवा आवश्यकतानुसार अधिक बार जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक करते हुए अभियान की प्रगति की समीक्षा की जायेगी एवं अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक द्वारा बैठक के कार्यवृत्त के साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रगति के विवरण से कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके ई-मेल (dirag@nic.in/jdastatdas@gmail.com) एवं महानिदेशक, संस्थागत वित्त को उनके ई-मेल (directorgeneral.difup@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) पी0एम0-किसान योजना के लाभार्थी कृषकों के पंजीकरण की सुविधा भारत सरकार द्वारा जनसुविधा केन्द्रों (सी0एस0सी0) के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जन सुविधा केन्द्रों पर कार्य निर्देशानुसार किया जा रहा है।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 02/2020/486(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, 11-विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा हाउस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।